

कार्यालय प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगाँव (छ.ग.)

सेन्टर ऑफ़ एकसीलेंस (इलेक्ट्रिकल सेक्टर)

(8वीं. बटालियन के पास पेण्ड्री राजनांदगाँव)

—:: बीबीबीटी चयन सूची के आवेदकों के लिये प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश ::—

प्रवेश के समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखें —

- 1) निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्र (जो लागू हो) जांच के लिये **लाना आवश्यक** है । साथ ही समस्त मूल प्रमाण पत्रों की एक-एक छायाप्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, भी साथ लावें ।
 - (1) कक्षा आठवीं परीक्षा/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा/10+2 के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री 12वीं/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकसूची ।
 - (2) वे अभ्यर्थी जो **हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद** की अंक सूची संलग्न किये हैं उन्हें माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ रायपुर से कक्षा दसवीं की अंग्रेजी विषय में पास की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है । इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
 - (3) जाति प्रमाण-पत्र शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो । अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के मामले में वैधता समयावधि समाप्त नहीं हुई हो ।
 - (4) अपंगता प्रमाण-पत्र पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड अथवा अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा जारी किया गया हो ।
 - (5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उसके पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों, नाति/नातिन से संबंधित प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदाय किया गया जो निर्धारित प्रपत्र में हो ।
 - (6) भूतपूर्व सैनिक अथवा उस पर आश्रित के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो ।
 - (7) कार्यरत सैनिक अपने युनिट के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।
 - (8) संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया हों)
 - (9) अनाथ के प्रकरण में :-पंजीकृत अनाथालय का प्रमाण-पत्र जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी किया गया हों ।
 - (10) अंतिम शैक्षणिक संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) लाना अनिवार्य है ।
 - (11) यदि अन्य प्रदेश से शिक्षा प्राप्त की हो तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है । अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
 - (12) अन्य ।

- 3) निम्नांकित शुल्क/राशि प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
 - 1.जमानत राशि – रूपये 50.00
 - 2.प्रशिक्षण शुल्क – रूपये 1000.00 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को छोड़कर)
- 4) उपरोक्त के अभाव में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।
- 5) संस्था में प्रशिक्षणार्थियों को मेहरून रंग के गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य हैं।
- 6) संस्था परिसर में प्रशिक्षणार्थियों को मोबाइल का उपयोग करना सक्त मना हैं।

प्रवेश हेतु उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व्यय भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि उक्त दिनांक को आपने प्रवेश नहीं लिया तो यह मान लिया जावेगा कि आप प्रवेश के इच्छुक नहीं है और आपके स्थान पर प्रावीण्य सूची के अगले उम्मीदवार को प्रवेश दे दिया जावेगा एवं आपका अस्थायी चयन स्वयमेव ही निरस्त हो जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

—:: बीबीबीटी प्रतीक्षा सूची के आवेदकों के लिये प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश ::—

प्रवेश के समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखें –

- 1) निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्र (जो लागू हो) जांच के लिये **लाना आवश्यक** है। साथ ही समस्त मूल प्रमाण पत्रों की एक-एक छायाप्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, भी साथ लावें।
 - (1) कक्षा आठवीं परीक्षा/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा/10+2 के अतर्गत हायर सेकेण्ड्री 12वीं/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकसूची।
 - (2) वे अभ्यर्थी जो **हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद** की अंक सूची संलग्न किये हैं उन्हें माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ रायपुर से कक्षा दसवीं की अंग्रेजी विषय में पास की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। **इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**
 - (3) जाति प्रमाण-पत्र शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के मामले में वैधता समयावधि समाप्त नहीं हुई हो।
 - (4) अपंगता प्रमाण-पत्र पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड अथवा अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा जारी किया गया हो।
 - (5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उसके पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों, नाति/नातिन से संबंधित प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदाय किया गया जो निर्धारित प्रपत्र में हो।
 - (6) भूतपूर्व सैनिक अथवा उस पर आश्रित के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो।
 - (7) कार्यरत सैनिक अपनै युनिट के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
 - (8) संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया हों)

- (9) अनाथ के प्रकरण में :-पंजीकृत अनाथालय का प्रमाण-पत्र जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी किया गया हों।
- (10) यदि अन्य प्रदेश से शिक्षा प्राप्त की हो तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (11) अन्य।
- 3) निम्नांकित शुल्क/राशि प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
- 1.जमानत राशि – रूपये 50.00
- 2.प्रशिक्षण शुल्क – रूपये 1000.00 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को छोड़कर)
- 4) उपरोक्त के अभाव में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।
- 5) संस्था में प्रशिक्षणार्थियों को मेहरून रंग के गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य हैं।
- 6) संस्था परिसर में प्रशिक्षणार्थियों को मोबाइल का उपयोग करना सक्त मना है।

प्रवेश हेतु उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व्यय भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि उक्त दिनांक को आपने प्रवेश नहीं लिया तो यह मान लिया जावेगा कि आप प्रवेश के इच्छुक नहीं हैं और आपके स्थान पर प्रावीण्य सूची के अगले उम्मीदवार को प्रवेश दे दिया जावेगा एवं आपका अस्थायी चयन स्वयमेव ही निरस्त हो जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

विशेष नोट:-

1. रिक्त स्थान होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा।
2. प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश दिनांक से 07 दिनों के भीतर मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा आपका प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
3. प्रवेश हेतु उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र एवं निर्धारित शुल्क उसी समय प्रस्तुत एवं जमा करने होंगे। जिनके अभाव में अगल से समय नहीं दिया जावेगा एवं प्राविण्य क्रम के अगले आवेदक को प्रवेश दे दिया जावेगा।

-:: बीबीबीटी की प्रतीक्षा सूची पेमेंट सीट में चयनीत आवेदकों के लिये प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश ::-

प्रवेश के समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखें –

- 1) निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्र (जो लागू हों) जांच के लिये लाने होंगे, साथ में एक-एक सत्यप्रतिलिपी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, भी साथ लावें।
 - (1) कक्षा आठवीं परीक्षा/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा/10+2 के अतर्गत हायर सेकेण्ड्री 12वीं/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची।

(2) अन्य प्रदेश से शिक्षा प्राप्त हो तो छत्तीसगढ़ का मूलनिवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) वे अभ्यर्थी जो हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद का अंक सूची संलग्न किये है उसे माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ रायपुर से कक्षा दसवीं की अंग्रेजी विषय में पास की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

2) निम्नांकित शुल्क/राशि (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित समस्त वर्गों के लिए) प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

1.	पेमेंट सीट शुल्क राशि रु – 5000.00(पाच हजार रु.मात्र)
एक मुश्त जमा	करना अनिवार्य होगा।
2.जमानत राशि	– रुपये 50.00 (पचास रु मात्र)
3.प्रशिक्षण शुल्क	– रुपये 1000.00 (एक हजार रु मात्र)

3) जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया हुआ।

4) उपरोक्त के अभाव में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

5) संस्था में प्रशिक्षण हेतु मेहरून रंग के गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य हैं।

6) संस्था में प्रशिक्षणार्थियों को मोबाइल का उपयोग करना सक्त मना हैं।

प्रवेश हेतु उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा व्यय भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि उक्त दिनांक एवं समय पर आपने प्रवेश नहीं लिया तो आपके स्थान पर प्रावीण्य सूची के अगले उम्मीदवार को प्रवेश दे दिया जावेगा एवं आपका अस्थायी चयन स्वयमेव ही निरस्त हो जायेगा।

नोट:-1. स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

2. प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश दिनांक से 07 दिनों के भीतर मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका प्रवेश स्वयमेव ही निरस्त हो जावेगा।

3. प्रवेश हेतु उपरोक्त समस्त प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित शुल्क उसी समय प्रस्तुत एवं जमा करने होंगे। इनके अभाव में अलग से समय नहीं दिया जावेगा एवं प्रावीण्य क्रम में अगले आवेदक को प्रवेश दे दिया जावेगा।

-:: एडवांस माड्यूल कौंसलिंग सूची के आवेदकों के लिये प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश :-

प्रवेश के समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखें –

- 1) निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्र (जो लागू हों) जांच के लिये लाना आवश्यक है । साथ ही समस्त मूल प्रमाण पत्रों की एक-एक छायाप्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, भी साथ लावें।
 - (1) कक्षा पुरानी ग्याहवीं/10+2 के अंतर्गत कक्षा दसवीं/व्यवसाय विद्युतकार से आई.टी.आई. /अप्रेन्टिसशीप/इलेक्ट्रिक इंजिनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा/सी.ओ.ई. के इलेक्ट्रिकल सेक्टर के बीबीबीटी माड्यूल में उत्तीर्ण की मूल अंक सूची ।
 - (2) जो आवेक सी.ओ.ई. के इलेक्ट्रिकल सेक्टर के बीबीबीटी माड्यूल की अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा अगस्त 2011 में सम्पन्न परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए हों वे अपना उक्त परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र अवश्य साथ लावें ।
 - (3) वे अभ्यर्थी जो हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की अंक सूची संलग्न किये है उन्हें माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ रायपुर से कक्षा दसवीं की अंग्रेजी विषय में पास की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
 - (4) जाति प्रमाण-पत्र शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो । अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के मामले में वैधता समयावधि समाप्त नहीं हुई हो ।
 - (5) अपंगता प्रमाण-पत्र पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड अथवा अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा जारी किया गया हो ।
 - (6) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उसके पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों, नाति/नातिन से संबंधित प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदाय किया गया जो निर्धारित प्रपत्र में हो ।
 - (7) भूतपूर्व सैनिक अथवा उस पर आश्रित के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो ।
 - (8) कार्यरत सैनिक अपने युनिट के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।
 - (9) संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया हों)
 - (10) अनाथ के प्रकरण में :-पंजीकृत अनाथालय का प्रमाण-पत्र जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी किया गया हों।

- (11) अंतिम शैक्षणिक संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) लाना अनिवार्य है ।
- (12) यदि अन्य प्रदेश से शिक्षा प्राप्त की हो तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
- (13) अन्य ।

3) निम्नांकित शुल्क/राशि प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

1.जमानत राशि – रूपये 50.00

2.प्रशिक्षण शुल्क – रूपये 1000.00 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को छोड़कर)

4) उपरोक्त के अभाव में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

5) संस्था में प्रशिक्षणार्थियों को मेहरून रंग के गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य हैं।

6) संस्था परिसर में प्रशिक्षणार्थियों को मोबाइल का उपयोग करना सक्त मना है।

प्रवेश हेतु उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व्यय भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि उक्त दिनांक को आपने प्रवेश नहीं लिया तो यह मान लिया जावेगा कि आप प्रवेश के इच्छुक नहीं हैं और आपके स्थान पर प्रावीण्य सूची के अगले उम्मीदवार को प्रवेश दे दिया जावेगा एवं आपका अस्थायी चयन स्वयमेव ही निरस्त हो जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

नोट:-

1/एडवांस माड्यूल में प्रवेश दसवी/पुराना ग्याहवीं के अंकों के मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश दिया जावेगा । प्रत्येक एडवांस माड्यूल (तीन) में 32-32 स्थान स्वीकृत हैं ।

2/संबंधित एडवांस माड्यूल में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा ।

प्रवेश प्रभारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
राजनांदगाँव (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
राजनांदगाँव (छ.ग.)